मौलिक अधिकार क्या हैं?

यह किताब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हुए हक़ों के उल्लंघन के आधार पर हमें हमारे हक़ों की जानकारी देतीहै।

PART

ACTION RESEARCH &
RESOURCE CENTRE

शुक्रिया और मान्यता

यह ट्रेनिंग मटेरियल हम सभी के ज़मीनी अनुभव, सिख, और कानूनी जानकारी को आसान बनाने के संकल्प का नतीजा है।

अनुसंधान और संकलन
मंगला वर्मा, अभिलाषा चौधरी, काव्या चिंदा

चित्रण, डिजाइन और लेआउट
मैत्री, कवि, अखिल वासुदेवन

शुक्रिया सभी का जिन्होंने अपने सुझाव, मेहनत और सोच के ज़रिये इस सामग्री को तैयार करने में मदद की।

Content

Page No.

इस ट्रेनिंग मटेरियल को कैसे इस्तेमाल करें	4
मौलिक अधिकार	5
समानता का अधिकार - आर्टिकल 14 to 18	6 - 12
स्वतंत्रता का अधिकार - आर्टिकल 19 to 22	13 - 30
आर्टिकल 23	31 - 25
आर्टिकल 24	36 - 40
धर्म की आज़ादी - 25 to 28	41 - 47
आर्टिकल 29	48 - 52
आर्टिकल 30	53 - 56
आर्टिकल 32 - बंदी प्रत्यक्षीकरण	57 - 62
उत्प्रेषण रिट	63 - 69
अधिकार पृच्छा रिट	70 - 76
निषेध का आदेश	77 - 83
परमादेश रिट	84 - 89

इस ट्रेनिंग मटेरियल को इस्तेमाल करने का तरीका

यह मटेरियल हमें हमारे संविधान में दिए गए हक़ के बारे में जानकारी देता है, और ये भी दिखता है कि कैसे हमारे हक़ का रोज़ की ज़िंदगी में अक्सर उल्लंघन होता है।

इस्तेमाल कैसे करें?

1. पहले हर आर्टिकल को पढ़िए और आराम से समझाइए कि इसमें कौन-सा हक़ बताया गया है।
2. फिर जो केस/किस्सा दिया गया है, उसे पढ़े, समझिये - यह बताता है कि कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
3. उस केस में पहचानें कि कौन-कौन से अधिकारों का उल्लंघन किया गए हैं।
4. फिर इस पर बातचीत करवाएँ।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित की गयी बुनियादी मानव स्वतंत्रताएं हैं जिनका विवरण संविधान के भाग III में दिया गया है। इन अधिकारों को केवल सांवैधानिक संशोधन से ही बदला जा सकता है। इसके अलावा, सरकार का कोई भी अंग ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

समानता का अधिकार

(अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक)

अनुच्छेद 14 - कानून के समक्ष समानता

अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद 16 - सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता

अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का उन्मूलन

अनुच्छेद 18 - उपाधियों का अंत

शांभवी और शुभम के स्कूल के सारे बच्चे स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। उनके माँ-बाबा ने शुभम को ट्रिप पर जाने की इज़ाज़त दे दी लेकिन शाम्भवी को घर पर रह कर अपनी माँ के साथ घर के काम काज में हाथ बटाने के लिए कहा गया।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

सरिता दिल्ली में घरेलू काम करती है। अपनी पहली नौकरी में कुछ हफ़्ते काम करने के बाद उसके मालिक को पता चला कि वह राजस्थान के आदिवासी भाट समुदाय से है। पता चलते ही मालिकों ने उसे डांट लगायी और नौकरी से निकाल दिया।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

मोहम्मद अनीस एक बैंक में क्लर्क के तौर पर इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने उसके समुदाय को लेकर उसे दुत्कारा और कहा कि उसे चपरासी या स्वीपर जैसी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए था।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

स्वतंत्रता का अधिकार

(अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक)

अनुच्छेद 19- भाषण की स्वतंत्रता, आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का बचाव

अनुच्छेद 20- अपराधों के लिए सजा के संबंध में बचाव

अनुच्छेद 21- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 21-A- प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 22- कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद से बचाव

अनुच्छेद 19 - भाषण की स्वतंत्रता, आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का बचाव

यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:

- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार;

- शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार;

- एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार [सहकारी समितियां];

- भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार;

- भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार; और

- कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

एक कला प्रदर्शनी में, मणि ने एक कार्टून बनाया जिसमें भारतीय संविधान की प्रति के ऊपर एक ब्राह्मण खड़ा है। पुलिस ने कला प्रदर्शनी के अगले दिन मणि को गिरफ्तार कर लिया और उस पर राष्ट्र की सुरक्षा और सद्भाव को खतरे में डालने का आरोप लगाया।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार & एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार

रमेश इंदुजा कोल फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री प्रबंधन ने इस साल मजदूर-बोनस देने से मना कर दिया। प्रबंधन से निराश, रमेश ने सभी श्रमिकों को एक यूनियन बनाने और कारखाने के बाहर शांतिपूर्वक दस दिनों के लिए इकट्ठा होने और अपने उचित बोनस की मांग करने के लिए राजी कर लिया।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि रमेश विरोध-प्रदर्शन क्यों करवा पाया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

पूरे भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निवास करें, बसें और घूमें

अंजलि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के बीकॉम में दाखिला लिया था। उन्हें दिल्ली में घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। लोगों ने उसे घर देने से इनकार कर दिया और उसे "चिंकी" और "चीनी" कहकर संबोधित किया।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय,

व्यापार या व्यापार करने की स्वतंत्रता

सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास करने के बाद सोनिया वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहती थीं। लेकिन उसके माता-पिता ने उसे फोटोग्राफी का कोर्स नहीं करने दिया और जबरदस्ती उसका दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

अनुच्छेद 21.

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, किसी भी व्यक्ति के जीवन और कानूनी स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता।

पुलिस ने काकू को काम पर जाते टाइम जबरन पकड़ लिया और थाने ले जा कर उसकी खूब मार पिटाई की। पुलिस ने ना तो उसे गिरफ्तारी के पीछे का कारण बताया और न ही उसे अपने परिवार से संपर्क करने दिया।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

अनुच्छेद 21-ए

शिक्षा का अधिकार

राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, इसको अमल में लाने के तरीके, राज्य द्वारा निर्मित कानून से निर्धारित किया जा सकते हैं।

पिंकी दसवीं से आगे की पढ़ाई नहीं कर पायी क्यूंकि उसके गांव की सरकारी स्कूल में आठवीं से आगे की क्लासेज नहीं हैं। आगे पढ़ने के लिए उसे अपने गांव से दूर एक अन्य स्कूल में एडमिशन लेना होता।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

सरताज छत्तीसगढ़ के दलदली गांव में रहता है। वह छठी कक्षा की अंतिम परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कर सका।

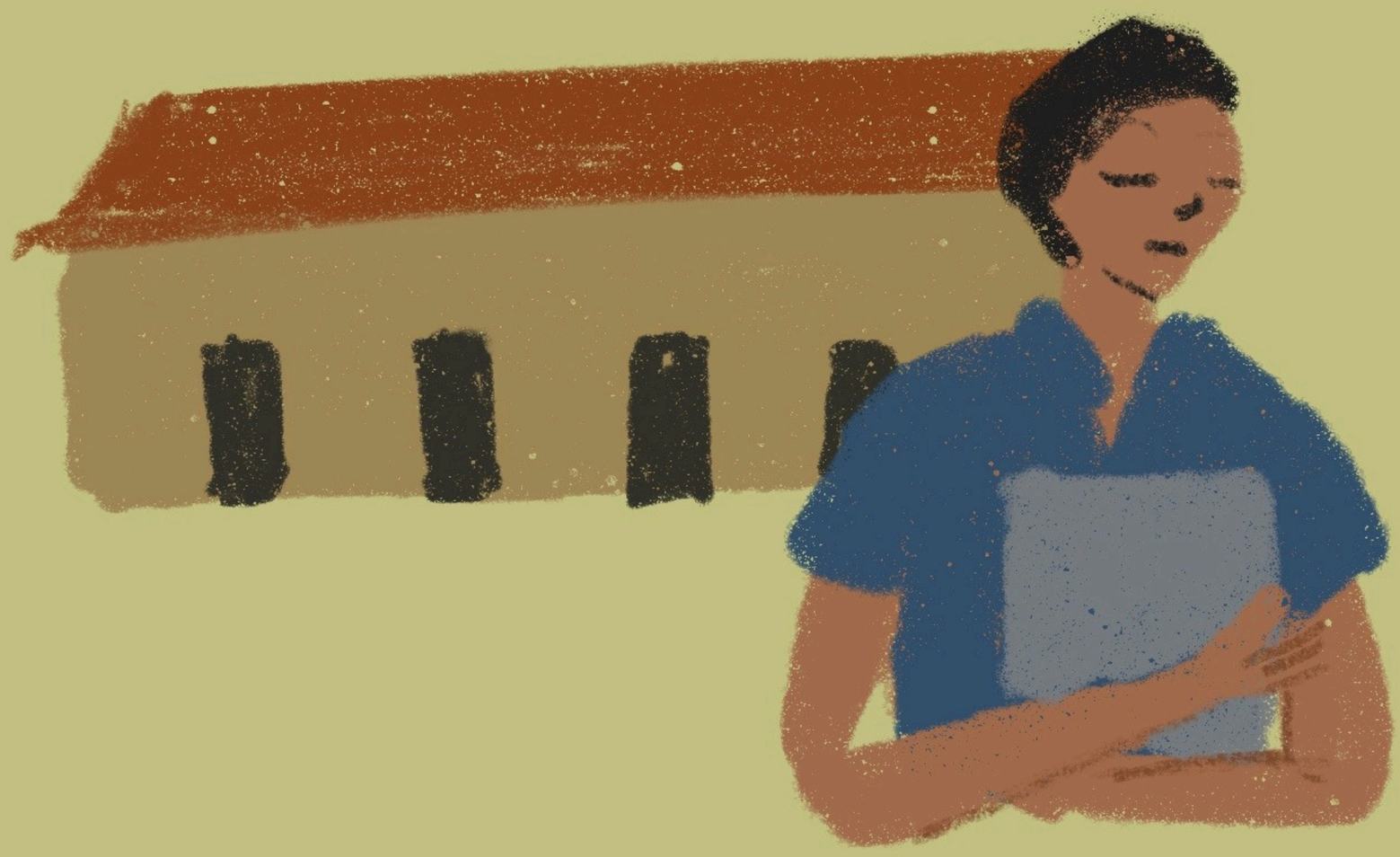

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

अनुच्छेद 23

मानव व्यापार और बेगार (जबरन मज़दूरी) पर प्रतिबंध

मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य जबरन मज़दूरी करवाना मना है और इस अनुच्छेद का उलंघन करना कानूनन दंडनीय अपराध है।

इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा, और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य धर्म, जाति, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

मनीषा बिहार के अररिया जिले की एक अनपढ़ लड़की है। वह कुछ अन्य गाँव की लड़कियों के साथ एक अनजान आदमी के माध्यम से घरेलू सहायिका के रूप में काम करने के लिए पटना चली गई। पटना पहुंचते ही उसे घर में बंद कर दिया गया और हर दिन उसका यौन शोषण किया जाता था।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

एक दुर्घटना में माता-पिता की मौत के बाद से मरियम अपनी मौसी के साथ रहती थी। उसके बाद से उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उसे बिना कुछ कहे घर के सारे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

अनुच्छेद 24

कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध।

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खादान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता।

सूरज 12 साल का लड़का है और चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। उसे कारखाने की धुँधली रोशनी और दुर्गंध पसंद नहीं है। वह स्कूल जाना चाहता है लेकिन उसके पिता कहते हैं कि सूरज की आय उनके घर के खर्च में एक बड़ा योगदान है।

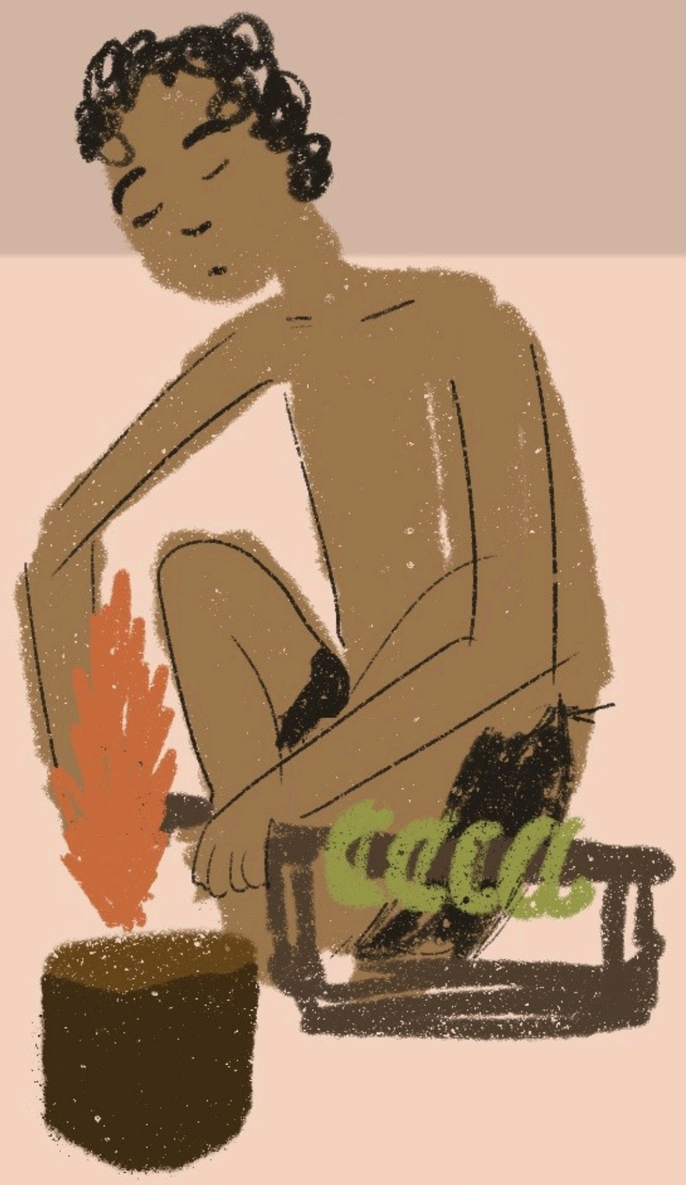

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

इकबाल एक दस साल का लड़का है जो उड़ीसा में एक कोयला खदान में 15 रुपये महीना पर काम करता है। उसकी खदान में कुछ कारीगर 12 वर्ष से कम आयु के हैं क्योंकि बड़े लड़के खदान की कुछ जगहों की संकरी गलियों तक नहीं पहुँच सकते।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

धर्म की आज़ादी (अनुच्छेद 25 से 28)

अनुच्छेद 25- अपने विवेक का इस्तेमाल करने और किसी भी धर्म को बिना किसी रुकावट के मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार।

अनुच्छेद 26- धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी।

अनुच्छेद 27- किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से आज़ादी।

अनुच्छेद 28- कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या धार्मिक पूजा में शामिल होने के संबंध में आज़ादी।

अजय, एक लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का है। वह जन्म से हिन्दू है, लेकिन अब उसे इस्लाम धर्म आकर्षित करता है और वह इस्लाम का पालन करने की इच्छा रखता है। उनके माता-पिता समाज से बहिष्कृत होने के डर से अजय को अपने मन पसंदीदा धर्म मानने की इज़ाज़त नहीं दे रहे हैं। अजय को रोज़ किसी न किसी बात को ले कर मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

पूरब दसवीं में पड़ता है। वह हमेशा अपने हाथ में एक कड़ा पहनता है और अपने साथ एक कृपाण भी रखता है। यह सभी उसके सिख होने की निशानियां हैं। लेकिन अभी कुछ हफ़्तों पहले ही उसकी स्कूल ने इस तरह की सभी धार्मिक अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी है।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

शारदा की अभी नयी नयी शादी हुई है। लेकिन बाकि हिन्दू महिलाओं की तरह वह मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहती है। इसी वजह से पूरे मोहल्ले में लोग उसे ताने देते हैं और उससे सीधे मुँह बात भी नहीं करते।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

अनुच्छेद 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा.

भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, तो उसे उसको संरक्षित करने का अधिकार होगा।

पंजाब के छात्रों की शिक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए, गुरु नानक विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (पंजाब) ने पंजाबी भाषा में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान बनाए।

[संदर्भ के लिए केस- डी.ए.वी. कॉलेज, जालंधर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1971 एससी 1737]

अनुच्छेद 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा.

किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा।

माउंट मैरी स्कूल, पटना ने एक नोटिस जारी कर उन छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है जो अंग्रेजी में बोल और लिख नहीं सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस को अमान्य घोषित कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करने के कारण स्कूल पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया।

[संदर्भ के लिए केस- बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी, एआईआर 1954 एससी 561]

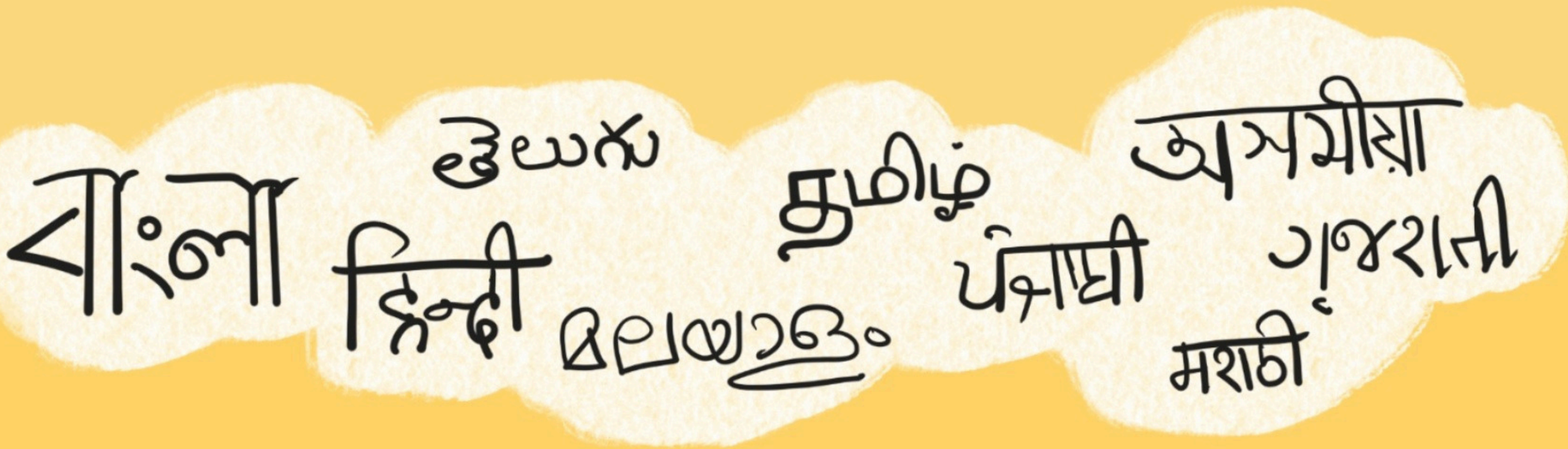

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

अनुच्छेद 30

अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं को पंजीकृत करने और उनका संचालन करने का अधिकार।

(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार होगा।

(1-ए) खंड (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और संचालित शैक्षणिक संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण (प्राप्ति) के लिए कोई कानून बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित राशि ऐसी हो जो उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त न करे।

अनुच्छेद 30

अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं को पंजीकृत करने और उनका संचालन करने का अधिकार।

2. शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो।

कर्नाटक की मलयाली प्रोफेसर आदर्शिनी पणिकर ने राज्य में लुप्त हो रही मलयाली भाषा के संरक्षण के लिए समर्पित एक स्कूल की स्थापना की। कर्नाटक की राज्य सरकार ने उनके स्कूल के लिए आवेदन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और उनके स्कूल के आवेदन को रद्द करने का कारण उनकी मलयाली पहचान बताया।

ऊपर दिए गए मामले में कौन-कौन से मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है?
और आपको क्या लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों किया गया?

अपने विचार यहाँ लिखें।

अनुच्छेद 32

बंदी प्रत्यक्षीकरण

डोसो, तुम परेशान टिख रहे हो।
क्या हुआ?

पुलिस ने साहूकार के घर में चोरी के आरोप में सुपै को हिरासत में लिया है। मुझे डर है कि उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है,

जिली, हम क्या करें?

क्या तुमने साहूकार या गांव के बुजुर्गों से बात की? सुपै ऐसा कभी नहीं करता!

मैंने सभी से गुहार लगाई है। साहूकार मेरी बात नहीं सुनता और पुलिस ने साहूकार की मौखिक शिकायत को गिरफ्तारी का आधार बना लिया है।

सुपै और मैं सिर्फ़ किसान हैं, हम खेतों पर काम करते हैं। साहूकार और पुलिस ताकतवर हैं। हम क्या कर सकते हैं?

हम असहाय नहीं हैं डोसो, पुलिस भी किसी को इस तरह से हिरासत में नहीं ले सकती। हर नागरिक के पास मौलिक अधिकार होते हैं।

???!

जिली यहा "हेबियस कॉर्पस' (बंदी पत्र्यक्षीकरण) के बारे में बात कर रही हैं जिसका लैटिन भाषा में शाब्दिक अर्थ है "शरीर का उत्पादन करना"

हेबियस कॉर्पस संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट और एक महत्वपूर्ण उपाय है

इसका उपयोग कब करें?

यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से या बिना किसी कानूनी वजह के हिरासत में लिया गया है

तो किसको निर्देशित किया जाएगा?

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में रखने वाला कोई भी पदाधिकारी

कौन याचिका दायर कर सकता है?

हिरासत में लिया गया व्यक्ति या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति द्वारा

उत्प्रेषण रिट

डिबरुगढ़ में दयाराम की उत्पादन प्लांट

हमें सारा माल जब्त करना है

मुझे अपने वकील को बुलाने दीजिए

यह सीमा-शुल्क कलेक्टर का आदेश है

क्या सीमा-शुल्क विभाग द्वारा जब्ती से पहले आपको कोई पूर्व सूचना टी गई थी?

नहीं, यह सब अचानक हुआ। मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि मेरी ओर से कोई गलती हुई है या नहीं।

मैंने अधिक जानकारी पाप्त करने के लिए एक सप्ताह तक पतीक्षा की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

मैं समझता हूँ, चलो पहले विभाग में शिकायत दर्ज करते हैं और चिंता मत करो। ऐसी स्थितियों के लिए एक उपाय है।

किस तरह का उपाय? ऐसा लगता है कि मैंने अपना सारा माल खो दिया है और यह मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा निवेश था

क्योंकी आपको कोई पूर्व सूचना नहीं मिली है और जब्ती से पहले और बाद में कोई जांच नहीं हुई है, इसलिए हमारे लिए 'सर्टिओरारी' नामक रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में जाना संभव है

?!

मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है और मुझे पहले कभी न्यायालय नहीं जाना पड़ा

उत्पष्रेण एक रिट है जिसका उपयोग निचली न्यायपालिका के निर्णयों को रद्द करने के लिए किया जाता है।

आपके मामले में, सीमा-शुल्क कलेक्टर ने आपके सामान को जब्त करने के लिए कोर्ट की शक्ति ग्रहण की।

क्योंकी कारण बताए बिना जब्त करने पर कार्रवाई पे सवाल उठाया जा सकता है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से हस्तक्षपे करने का अनुरोध कर सकते हैं ताकि जब्ती को हटाया जा सके।

इसका उपयोग कब करें?

इसका उपयोग निचली न्यायपालिका द्वारा जारी किसी भी आदेश को, उच्च न्यायपालिका द्वारा पाक्रृतिक न्याय के सिद्धांतों पर, रद्द करने के लिए किया जा सकता है

किसको निर्देशित किया जाता है?

किसी भी निचली अदालत/न्यायाधिकरण

कौन याचिका दायर कर सकता है?

वह व्यक्ति जो न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश से व्यथित है

अधिकार पृच्छा रिट

मैडम, मुझे आपसे हमारे बायोलॉजी लेक्चरर सूर्या के बारे में बात करनी है।

तुम्हें क्या चाहिए रूपाली? क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं व्यस्त हूँ?

यह महत्वपूर्ण है। वह आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करता है और मैं चाहती हूं कि पशासन इस मामले की जांच करे।

उस आदमी के पास बी.एड की डिगी भी नहीं है!

व्याख्यान देना मेरा काम है, आपका नहीं

....

जो इस नौकरी के लिए सही योग्यता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं,
उन लोगों का मज़ाक बनकर रह गया है!

हम क्या कर सकते हैं?

हम उन्हें जवाबदेह ठहरा सकते हैं - नागरिक होने के
नाते यह हमारा मौलिक अधिकार है रूपाली

शगुफ्ता क्वो वारर्न्टो (अधिकार पृच्छा रिट) के रिट के बारे में बात कर रही हैं जिसका अनुवाद है "किस अधिकार के तहत?"
यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपाय है

इसका उपयोग कब करें?

यदि किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त किया गया है

किसको निर्देशित किया जाता है?

सार्वजनिक पद पर नियुक्त कोई भी अधिकारी

कौन याचिका दायर कर सकता है?

देश का कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति के अधिकार पर सवाल उठा सकता है

निषेध का आदेश

महेश तुम क्लास के टौर्न फोन पर लगे रहे, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है?

क्यं?

आकांक्षा, मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मॉल बनाने के लिए जमीन कैसे ली जा सकती है और इसके लिए अनुमति कौन देता है

मैं भूरिया कॉलोनी में रहता हूँ आकांक्षा, 2 साल पहले हमें यमुना बैंक से निकाल दिया गया था और तब से हम अब जाकर खुद को संभाल पाए हैं।

अब मैं सुन रहा हूँ कि वे हमें यहा ँसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वे यहा ँमॉल बनाना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार इस स्थिति से दोबारा नहीं गुज़र सकते आकांक्षा।

लेकिन इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है।

ऐसा पत्रीत होता है कि पस्तावित मॉल के मालिक द्वारा गेटर नोएडा नगर निगम न्यायाधिकरण में एक याचिका टायर की गई है और सुनवाई की तारीख घोषित कर टी गई है।

अरे नहीं! मुझे उम्मीट थी कि यह एक अफ़वाह होगी। मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ!

"निषेधाज्ञा" के माध्यम से। यह एक याचिका है जिसे उच्च न्यायालय में टायर किया जा सकता है, न्यायाधिकरण की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए।

लेकिन उच्च न्यायालय ऐसी याचिका पर सुनवाई क्यों करेगा, जब न्यायाधिकरण अभी भी मामले पर विचार कर रहा है?

रिट का उपयोग किसी भी निर्णय को कुछ समय के लिए होने से रोकने के लिए किया जा सकता है, जब तक कि कोई और उचित वजह नहीं दी गई हो

निषेध का संबंध इलाज से नहीं बल्कि रोकथाम से है

यह अनुच्छेद 32 के तहत उपलब्ध एक उपाय है

निषेधाज्ञा रिट एक त्वरित और पभावी उपाय है जो निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र या पाकृतिक न्याय के विपरीत कार्य करने से रोकता है। इसे "स्थगन आदेश" (स्टे आर्डर) के रूप में भी जाना जाता है

परमादेश रिट

ऊह! ऊह!

क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है पंकज?

फैक्टी में वेंटिलेशन (हवा के बाहर जाने और अंदर आने की कोई व्यवस्था) नहीं है। पिछले साल मेरे दो दोस्त मर गए। ऊह... ऊह...।

एक और गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया।

क्या आपने मुख्य कारखाना निरीक्षक से शिकायत की है?

कितनी बार! वह कहता है कि वह कार्रवाई करेगा और मुझे धैर्य रखने के लिए कहता है। ... मुझे नहीं पता कि और क्या करना है!

लेकिन उन्हें निरीक्षण करना ज़रूरी है। कानून बनाने का उद्देश्य यह है कि इसे लागू किया जाए।

यह बात उनको बताओ!

हम अदालत से यह कहलवा देंगे!

?!

बरखा परमादेश रिट के बारे में बात कर रही हैं
यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक
महत्वपूर्ण उपाय है

इसका उपयोग कब करें?

जब कोई अधिकारी अपने कार्य नहीं करता है। तो रिट का उपयोग अधिकारी को अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने के लिए किया जाता है।

किसको निर्देशित किया जाता है?

कोई भी सार्वजनिक पाधिकरण, अथार्त राज्य

कौन याचिका दायर कर सकता है?

वह व्यक्ति जो उस अधिकारी द्वारा कर्तव्य के गैर-निष्पादन से व्यथित है

जब यह नागरिकों के बड़े वर्ग को पभावित करता है, तो यह जनहित याचिका बन जाती है और, जनहित में, कोई भी इसे दायर कर सकता है

PART III

ACTION RESEARCH &
RESOURCE CENTRE

पार्ट III एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर का लक्ष्य है कि सबको अपने मौलिक अधिकार की पहचान हो और वे उनका इस्तमेाल कर सकें। अभी हम खास तौर पर पहचान के आधार पर होने वाले भेटभाव और हिसा पर काम कर रहे हैं।

हमारा मानना है कि जब किसी व्यक्ति या समूह के साथ हिसा या भेटभाव होता है, तो उसकी जड़ें हमारे समाज के ढाँचे और कामकाज में होती हैं। हमारा यह भी मानना है कि जब वो लोग या समूह, जो इस व्यवस्थागत उत्पीड़न से पभावित हैं, वे खुद ही बदलाव की पहल करते हैं, तब हमारा संविधान बदलाव लाने और न्याय का एक ज़रिया बन सकता है।

हमारा तरीका यह है कि हम ज़मीनी हकीकत को समझते हुए कई विषयों को एक साथ लेकर चलते हैं। इसमें समूह के साथ काम और रिसर्च एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारा काम समुदाय आधारित संगठनों और व्यवस्थागत या पहचान आधारित हिसा के पीड़ितों के साथ मिलकर भी होता है। हम उनके साथ मिलकर न्याय, सम्मान और व्यवस्था की जवाबदेही तय करने के लिए काम करते हैं। इसमें हम कानूनी मदद, टेनिंग, रिसर्च और उनकी आवाज़ उठाने जैसे काम करते हैं।

हमारी वेबसाइट - www.part-three.org.